

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

कैलाश

बनाम

कालूराम

संख्या

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

07/03
25

पत्रावली पेश हुई। प.०.सा. दोर /
क. ५ कार्रवाई करने के कारण कार्य
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
19-3-25 को पेश हो।

19/3/25

पत्रावली पत्र। कार्य उपखण्ड
नहीं। तीन बार क्रियात्मक
दिनांक गी) अर्थात् उद्य-वही
कार्य। उद्योग दफ्तर हाइंग
पेवली कदम हाइंग न कार्रवाई
होकर कार्रवाई दफ्तर किया
जमा है

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जम्शुदपुर)